


FORM NO III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर(फास्ट-ट्रेक), डीग जिला डीग

किशनलाल वगै० बनाम हरी वगै०

मुकदमा क्रिस्म:- अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,

नम्बर :- 30 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
02.05.2024	<p>सायलान के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. पर सायलान के विद्वान वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। सायलान के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया गया। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं क्षति सायलान के पक्ष में प्रतीत होती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैर सायलान इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 74/0.16, वाके ग्राम बंधाचौथ तहसील डीग में स्थित आराजीयात पर मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु गैर सायलान को आगामी तारीख पेशी दिनांक 30.05.2024 तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। गैर सायलान की तलबी जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस से कराई जावे।</p> <p>यदि उक्त अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में किसी को कोई उज्र हो तो न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर पेश करें।</p> <p>आयन्दा पत्रवाली वास्ते तलबी गैर सायलान रजिस्टर्ड ए.डी.कराई जाकर दिनांक 30.05.2024 को पेश हो</p> <p style="text-align: center;"> (डॉ०रवि कुमार गोयल) सहायक कलक्टर (FT) डीग</p>	
20/05/24	<p>पत्रावली पेश हुई। इस प्रार्थना पत्र 212 RTA से सम्बन्धित मूल वाद को वादी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उसी स्तर पर विद्दे / खोलें कराया जा चुका है। इस स्थिति में इस प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को उसी स्तर पर खोलें किया जाता है।</p> <p style="text-align: center;">पत्रावली केसल होकर नम्बर से कम है।</p>	<p>रै. हताश नम्बर 30/24 किशनलाल जि. डीग</p> <p style="text-align: center;">जि. डीग</p>

